

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अधिसूचना
प्रपत्र सं. 3 सीपी

1	आवेदक का नाम, पता तथा पैन सं.	मैसर्स आदित्य बिरला नुवा लिमिटेड, मुम्बई पैन : एएसीआई1747एच
2	कृषि विस्तार परियोजना का नाम	कृषि विस्तार शिक्षा कार्यक्रम-टोटल एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर
3	कृषि विस्तार परियोजना का प्रयोजन	किसानों को अधिक उपज, गुणवत्ता और लाभ कमाने में सहायता करने के लिए उन्हें मूल्य वर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराना; तथा वॉटर रोड प्रबंधन, ऑर्गेनिक कृषि जैसी विभिन्न तकनीकों को शुरू कर के कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देना।
4	आवेदन की संदर्भ संख्या और तिथि	फा.सं.203/23/2015 आ.क.नि-11, दिनांक 27.05.2015 को प्राप्त हुआ।
5	कृषि विस्तार परियोजना को आरंभ करने की तिथि	पहले ही आरंभ की जा चुकी है। तथापि, अनुमोदन आयकर अधिनियम की धारा 35 गगन के तहत इस औपचारिक अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होगा।
6	कृषि विस्तार परियोजना की माह के हिसाब से अवधि	चल रही परियोजना
7	कर-निर्धारण वर्ष (वर्षों) जिनके लिए कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया जा रहा है (तीन वर्षों से अधिक नहीं)	अधिसूचना के औपचारिक रूप से जारी होने की तारीख से कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 तक
8	कृषि विस्तार परियोजना पर होने वाले संभावित कुल खर्च (भूमि अथवा भवन की लागत राशि से भिन्न)	आवेदक ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 2,73,34,000/- रुपये के खर्च का दावा किया है। तथापि, क्योंकि परियोजना को अनुमोदन वित्त वर्ष 2015-16 में परवर्ती तिथि से दिया जा रहा है, अतः संगत अवधि हेतु संभावित व्यय काफी कम होगा। जहां तक वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 का संबंध है संभावित व्यय 2,95,57,000/- रुपये और 3,16,76,000/-रुपए होने का अनुमान है।
9	कृषि विस्तार परियोजना के प्रत्येक लाभग्राही से प्राप्त की जाने वाली राशि, यदि कोई हो,	शून्य

10. वे शर्तें जिनके अधीन 'कृषि विस्तार परियोजना' नाम से शिक्षा कार्यक्रम-टोटल एग्री सोल्यूशन प्रोवाइडर को अधिसूचित किया जा रहा है, निम्नानुसार हैं:-

(i) कृषि विस्तार परियोजना को शुरू करने वाली अनुमोदित संस्था धारा 35 गगग की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना की लेखाबहियां पृथक रूप से रखेगी तथा ऐसी लेखाबहियों की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे उल्लिखित स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किए गए अनुसार किसी लेखाकार से लेखा-परीक्षा कराएगी। इसके अलावा उक्त कृषि विस्तार परियोजना से संबंधित लेखा बही को इस तरीके से अनुरक्षित किया जाएगा ताकि परियोजना में किए जा रहे सभी विस्तार गतिविधियों का सत्यापन किया जा सके।

(ii) उपनियम (1) में उल्लिखित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा-परीक्षक की कृषि विस्तार परियोजना के सम्बंध में अनुरक्षित लेखाबहियों के सही और उचित होने के संबंध में, कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलापों की वास्तविकता तथा अधिनियम के संगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण किये जाने अथवा नियमों अथवा नियम 6 ककघ के उपनियम (6) या उपनियम (9) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित नियमों अथवा शर्तों को पूर्ण किए जाने के संबंध में की गई टिप्पणियां शामिल होंगी।

(iii) अनुमोदित संस्था प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन अथवा उक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे वितरित की गई किसी सामग्री के लिए पात्र कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत किसी लाभग्राही से कोई राशि स्वीकार नहीं करेगी।

(iv) अनुमोदित संस्था अधिनियम की धारा 35 गगग के उपबंधों, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 ककघ और इस अधिसूचना के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के अलावा अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं उठाएगी।

(v) परियोजना से लाभ कमाने वाला आवेदक कृषि मंत्रालय को किसानों का डाटाशीट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, आवेदक मृदा स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता से संबंधित उपलब्ध सूचना को भी कृषि मंत्रालय के साथ साझा करेगा।

(vi) लाभग्राही से प्राप्त की गई राशि, यदि कोई हो, को घटाने के बाद सभी खर्च (किसी भूमि या भवन की लागत स्वरूप का व्यय न होने पर) जिन्हें किसी पात्र कृषि विस्तार परियोजना को शुरू करने हेतु पूर्ण तथा अनन्य रूप से खर्च किया गया है, धारा 35 गगग के तहत कटौती के पात्र होंगे;

बशर्ते यह कि कृषि विस्तार परियोजना पर खर्च किया गया कोई व्यय जिसकी कर निर्धारिती को किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपूर्ति की गई है या की जानी है, के लिए धारा 35 गगग के अंतर्गत कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

(vii) जहां अधिनियम की धारा 35 गग के अन्तर्गत किसी कटौती का किसी कर-निर्धारण वर्ष हेतु दावा किया जाता है तथा उसे अनुमत किया जाता है तो ऐसे व्यय के संबंध में अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अन्तर्गत उसी कर-निर्धारण वर्ष अथवा

अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

(viii) अनुमोदित संस्था द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आय विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व आयकर आयुक्त को या आयकर निदेशक को, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेगी, नामतः:-

- (क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ पूर्व वर्ष के लिए कृषि विस्तार परियोजना के लेखाओं के लेखापरीक्षित किए गए विवरण तथा धारा 35गगग की उपधारा (1) के अन्तर्गत दावा की गई कटौती की राशि;
 - (ख) पूर्व वर्ष के दौरान इसके द्वारा शुरू की गई कृषि विस्तार परियोजना पर टिप्पणी तथा चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली कृषि विस्तार परियोजना का कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम हेतु वित्तीय आबंटन; तथा
 - (ग) कर-निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान शुरू की गई कृषि विस्तार परियोजना की वास्तविकता के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रमाणपत्र।
- (ix) इस परियोजना के अंतर्गत कम्पनी की प्रोफाइल और उत्पादों पर एक अल्प सत्र को छोड़कर केवल उत्पाद निष्प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

11. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपना अनुमोदन वापस ले लेगा यदि अनुमोदित संस्था:-

- (क) अपने क्रियाकलाप बंद कर देती है; अथवा
- (ख) इसके क्रियाकलाप अवास्तविक पाए जाते हैं; अथवा
- (ग) इसके क्रियाकलाप अधिनियम के सभी या किसी संगत उपबंधों अथवा नियमों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं; अथवा
- (घ) इसके क्रियाकलाप ऐसी सभी शर्तों अथवा उनमें से किसी भी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिन शर्तों के अध्वधीन अधिसूचना जारी की जा रही है।

स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक 26/6/2015

(रोहित गर्ग)

उप सचिव, भारत सरकार

(फा.स.203/23/2015-आ.क.नि.।।)

अधिसूचना सं.54/2015

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, आदित्य बिरला केन्द्र, एस.के. अहरे मार्ग, वर्ली, मुम्बई
2. कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. संबंधित प्रधान आयकर आयुक्त
4. संबंधित राज्य का कृषि विभाग
5. संबंधित जिले (जिलों) का कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए)
6. भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
7. प्रधान सीसीआईटी, मुम्बई को इस अनुरोध के साथ कि कर निर्धारिती के मामले में विवरणी दाखिल किए जाने हेतु नियत तारीख से 60 दिन के भीतर क्रम सं. 10 (vii) में दी गई शर्त के अनुपालन के बारे में बोर्ड को सूचित किया जाए।
8. संबंधित फाइल
9. विधि एवं न्याय मंत्रालय (सुधार अनुभाग), नई दिल्ली
10. प्रधान डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली के कार्यालय को incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11. गार्ड फाइल
12. आईटीसीसी, के.प्र.क.बो (04 प्रतियां)



(रोहित गर्ग)

उप सचिव, भारत सरकार